

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त, 2003 (श्रावण 10, 1925)

समय 10.30 बजे

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) चौधरी राकेश सिंह, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा -40 की उपधारा (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा -36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री इन्द्रजीत कुमार, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, नरोत्तम मिश्रा, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, ग्वालियर संभाग में अपहरण की घटनाएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में अमानक स्तर के सोयाबीन बीज के वितरण से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री हिम्मत कोठारी, रमाकांत तिवारी, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी नये प्रवेश नियमों एवं गलत नीतियों से परीक्षा परिणाम प्रभावित होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, मुंशीलाल, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, मुरैना जिले के टेटरा-सबलगाढ़ मार्ग पर पुलिसकर्मी की हत्या कर कैदी फरार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री हजारो लाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2003 (क्रमांक 26 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

5. अशासकीय संकल्प

निर्धारित

समय

45 मि.

(1) सर्वश्री लवकेश सिंह, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि अमरकंटक को पर्यावरण की दृष्टि से विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित कर विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाय."

30 मि.

(2) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल के पास पुरातत्वीय स्थल भीम बैठका पर नया रेलवे स्टेशन बनाकर उसका नाम खोज करने वाले डॉ. व्ही.एस.वाकणकर के नाम किया जावे."

30 मि.

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि शहडोल से इलाहाबाद वाया सीधी रेलवे लाईन बिछाई जाय."

25 मि.

(4) सर्वश्री लवकेश सिंह, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि शहडोल जिले के ग्राम छुल्हा स्टेशन को अमरकंटक रोड स्टेशन घोषित किया जाय."

20 मि.

(5) श्री रामप्रताप सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि सतना जिले की तहसील उचेहरा में शासकीय महाविद्यालय खोला जाय."

भोपाल
दिनांक : 31 जुलाई, 2003

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.